



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01122022-240720  
CG-DL-E-01122022-240720

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5350]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 1, 2022/ अग्रहायण 10, 1944

No. 5350]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 1, 2022/AGRAHAYANA 10, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2022

का.आ. 5582(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2953(अ), 30 जून 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तेलंगाना राज्य के सिद्दीपेट जिले में जनगांव-सिद्दीपेट रोड सेक्शन के NH-365B के कि.मी. 86.160 से कि.मी. 131.730 (रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर, सिद्दीपेट) तक के भूखण्ड पर (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "28 जुलाई 2022" को "द हिन्दू"(अंग्रेजी) और "नमस्ते तेलंगाना"(तेलुगु) दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

### अनुसूची

तेलंगाना राज्य के सिद्दीपेट जिले में जनगांव-सिद्दीपेट रोड सेक्शन के NH-365B के कि.मी. 86.160 से कि.मी. 131.730 तक (रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर, सिद्दीपेट) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: तेलंगाना		जिले का नाम: सिद्दीपेट			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: चेरियाल				
	गांव का नाम: मुस्तयाला				
1	268	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	0.0175	केसीरेड्डी सुरेंद्र रेड्डी सॉन ऑफ सत्यनारायण रेड्डी ( )
2	269	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	0.6272	एमडी. इसाक जावेद सॉन ऑफ मोहसिन ( )
3	310	निजी(पट्टा)	सूखा(कृषि भूमि)	0.015	एम डी. इसाक जावेद सॉन ऑफ मोहसिन ( )
			कुल	0.6597	

[फा. सं. S.O.3514 (E) Dated 23-11-2016/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2022

**S.O. 5582(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. 2953(E), dated 30th June 2022**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of (widening/two lane with paved shoulder/four laning, etc.), Toll Plaza Maintenance, management and operation of **Jangaon-Duddeda Road Section of NH-365B on the stretch of**

land from Km 86.160 to Km 131.730 (Revenue Divisional officer, Siddipet) in the district of SIDDIPET in the state of TELANGANA.

And whereas the substance of the said notification has been published in “*The Hindu*”(English) and “*Namasthe Telangana*”(Telugu) both dated **28 July 2022**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

#### SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-365B in the stretch of land from Km 86.160 to Km 131.730 (Revenue Divisional officer, Siddipet) Jangaon-Duddeda Road Section in the district of SIDDIPET in the state of TELANGANA.**

State: TELANGANA		District: SIDDIPET			
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	<b>Taluk: Cherial</b>				
	<b>Village: Mustyala</b>				
1	268	Private(Patta)	Dry(Agriculture land)	0.0175	Kesireddy Surendar Reddy Son of Sathanarayan Reddy
2	269	Private(Patta)	Dry(Agriculture land)	0.6272	Md. Isaq Javeed
3	310	Private(Patta)	Dry(Agriculture land)	0.015	Md. Isaq Javeed Son of Mohsin
			<b>TOTAL</b>	<b>0.6597</b>	

[F. No. S.O.3514 (E) Dated 23-11-2016/3D]

RAJESH GUPTA, Director